कोर्टकेस/आवश्यक

संख्या-**5/2017/1790/33-1-2017-1494/2017**

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग-**1** लखनऊ: दिनॉक: **25** सितम्बर, **2017**

विषय:-जनहित रिट याचिका संख्या-50829/2011 युगंधरा ग्राम्य विकास एवं जन सेवा संस्थान, उ0प्र0, इलाहाबाद बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 उच्च न्यायालय, **इलाहाबाद में योजित जनहित याचिका संख्या**-50829/2011 युगंधरा ग्राम्य विकास एवं जन सेवा संस्थान, उ0प्र0, इलाहाबाद बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.7.2017 का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

"In our opinion it would be more appropriate to require the Principal Secretary, Panchayati Raj himself to intervene in the matter at the first instance.For the purpose the Principle Secretary may call for report from the District Magistrate/Sub Divisional Magistrate of the concerned area and if it is found that any public utility land or public utility Gandhi Chabootra have been encroached upon, suitable steps shall be taken for eviction of the unauthorized occupation and if required demolition of unauthorized construction be made.

The petitioner is permitted to represent his grievance before respondent no. 2, who shall do the needful at the earliest possible.

http://shasanadesh.up.nic.in

With the aforesaid observations/directions the present writ petition is disposed off. "

2- मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के आलोक में याची युगंधरा ग्राम्य विकास एवं जनसेवा संस्थान, 364 बी0एच0एस0 निकट, पटेल चौराहा, अल्लापुर, इलाहाबाद उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा सचिव, आचार्य राजेश त्रिपाठी, अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र दिनांक 16.7.2017 के माध्यम से शासन के संज्ञान में लाया गया कि राष्ट्रपिता महात्मा गॉधी की स्मृति को अक्षुण्य रखने और आगामी पीढ़ी को बापू के योगदान को याद दिलाने के साथ ही साथ गॉव के धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के सामूहिक संचालन के उद्देश्य से न्याय पंचायतों में गॉधी चबूतरों की स्थापना की गयी थी और संबंधित गॉव के राजस्व अभिलेखों में भी गॉधी चबूतरों को खातेदार के रूप में इन्द्राज किया गया था, किन्तु कालान्तर में भूमिप्रबन्धक समिति और अन्य जिम्मेदार प्राधिकारियों की लापरवाही से राजस्व अभिलेखों में गॉधी चबूतरों की प्रकृति एवं श्रेणी का परिवर्तन करके उनके अस्तिव को ही गायब कर दिया गया और आज भी कुछ ग्राम सभाओं के राजस्व अभिलेख में गॉधी चबूतरों यदि बचे हैं तो दबंगों द्वारा कब्जा कर लिये गये है या क्षतिग्रस्त हो गये हैं।

3- उक्त प्रस्तर-2 के तथ्यों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.7.2017 के आलोक में सार्वजनिक उपभोग की भूमि तथा सार्वजनिक उपभोग के गॉधी चबूतरों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही का विवरण संलग्न प्रारूप में शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या:- (1)/33-1-2017-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण मूलत: राजस्व विभाग से संबंधित है। अत: मा0

http://shasanadesh.up.nic.in

उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 06.7.2017 के आलोक में अपने स्तर से भी संबंधित अधिकारीगण को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

2. निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-3/ वाद/शा0/55/ 2017-5/191/17, दिनांक 22.8.2017 के क्रम में।

3. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।

4. युगंधरा ग्राम्य विकास एवं जनसेवा संस्थान, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा सचिव, आचार्य राजेश त्रिपाठी, 364 बी0एच0एस0 निकट, पटेल चौराहा, अल्लापुर, इलाहाबाद।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in